संख्या-30/2018-1226/58-2018-01/2013

प्रेषक

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2018**

विषयः **वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की पौधशालाओं से पौधे क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातातरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। आगामी खरीफ मौसम में मानसून के आगमन एवं वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होते ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पौध रोपण हेतु गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आवश्यकता होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की राजकीय पौधशालाओं में उत्पादित गुणवत्तायुक्त फलदार कलमी पौधों के साथ-साथ फलदार बीजू एवं शोभाकार पौधे पर्याप्त संख्या में विक्रय योग्य उपलब्ध है, जिनका उपयोग जनमानस द्वारा बाग रोपण एवं विभिन्न विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रमों में किया जा सकता है। वर्तमान उपलब्धता के अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की राजकीय उत्पादन इकाईयों पर लगभग 31.29 लाख पौधे उपलब्ध हैं जिन्हें जनपद में विभिन्न शासकीय योजनाओं में वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा समयबद्वता के साथ निर्धारित राजकीय दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

2- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना" मुख्यमंत्री फलोद्योन योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अन्तर्गत कृषक की निजी भूमि पर वृक्षारोपण के निर्देश निर्गत किये गये हैं। योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न फलदार कलमी पौधों की मांग होगी। जिसकी आपूर्ति विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों से ससमय कर ली जाय ताकि पौधों के उठान को गति प्रदान की जा सके।

3- इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया विभिन्न शासकीय योजनाओं/वृक्षारोपण कार्यक्रमों में प्राथमिकता पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की राजकीय उत्पादन इकाईयों पर उत्पादित गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति प्राप्त की जाय। विभाग की पौधशालाओं में अनुपलब्धता की स्थिति में एवं संबंधित जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा इस आशय के प्रमाण-पत्र कि विभाग की पौधशालाओं पर वांछित पौधों की उपलब्धता नहीं है, के उपरान्त ही अन्य श्रोतों से पौधों की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जाय। इस संबंध में अपने स्तर से भी संबंधित को सम्यक रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-30/2018-1226(1)/58-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2- प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश, अरण्य भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।

7-- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in